अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सं0 16/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) पहले पैरा में,--

(क) दीर्घ पंक्ति में, "और पैक की गई" शब्दों से आरंभ होने वाले और "उक्त सारणी का 2" के साथ समाप्त होने वाले भाग में "जिसकी अधिकतम पैक करने की गति, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) है जिस पर उनका विनिर्दिष्ट मालों को पैक करने के लिए प्रचालन किया जा सकता है, जिनको यथास्थिति, सारणी-1 या सारणी-2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमतों वाले पाउचों में पैक किया जाता है, के स्थान पर सारणी-1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5क) या स्तंभ (5ख) या स्तंभ (6) या सारणी 2 के (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6क) या स्तंभ (6ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) सारणी 1, टिप्पण और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी-1

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)	
		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)	चबाने वाला तम्बाकू

					(सामान्यतः फिल्टर खैनी के रूप में ज्ञात)
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच 450 तक	प्रति मिनट 451 पाउच और उससे ऊपर तक	कोई भी गति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

		चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	
		(3**क**)	(**3ख**)	(**4क**)	(**4ख**)	(**5क**)	(**5ख**)	
1.	1.00 रु0 तक	30.51	28.98	43.58	41.40	92.61	87.98	18.52
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	45.76	43.47	65.37	62.10	138.91	131.97	27.78
3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	54.91	51.86	78.44	74.09	166.69	157.43	35.19
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	82.37	77.79	117.67	111.13	250.04	236.15	50.15
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	102.50	96.40	146.43	137.71	311.16	292.64	63.52
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	128.13	120.50	183.04	172.14	388.95	365.80	75.43
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु	153.75	144.60	219.64	206.57	466.74	438.96	85.99

	6.00 रु0 से अनधिक							
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	153.75	144.60	219.64	206.57	466.74	438.96	95.31
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	153.75	144.60	219.64	206.57	466.74	438.96	103.47
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	153.75	144.60	219.64	206.57	466.74	438.96	110.59
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	244.05	228.80	348.64	326.85	740.86	694.56	116.73
12.	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	344.11	326.90	491.58	467.00	1044.62	992.39	116.73 + 11.67x (P-10)
13.	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	431.28	409.72	616.12	585.31	1309.25	1243.79	
14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	506.76	481.42	723.94	687.74	1538.37	1461.45	
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	571.62	543.04	816.60	775.77	1735.28	1648.52	
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु	626.88	595.54	895.54	850.77	1903.03	1807.88	

	35.00 रु0 से अनधिक						
17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	673.45	639.78	962.07	913.96	2044.40	1942.18	
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	712.17	676.56	1017.39	966.52	2161.95	2053.85	
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	743.82	706.63	1062.60	1009.47	2258.03	2145.13	
20.	50.00 रु0 से अधिक	743.82+14.88 x (की-50)	706.63+14.13 x (की-50)	1062.60+21.25 x (की-50)	1009.47+20.19 x (की-50)	2258.03+45.16 x (की-50)	2145.13+42.90 x (की-50)	
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।						

टिप्पण :- क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ सं. (6) में की प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ सं. (2) में, की प्रविष्टि 'रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी ।'।

दृष्टांत 1 :- किसी चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) के पाउच के लिए, जिसमें चूना टयूब नहीं है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिसपर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले चबाने वाले तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है प्रति मिनट 450 पाउच है और जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55 रू0 (अर्थात् "की") है प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर = 1062.60+21.25x (55-50) लाख रुपए = 1168.85 लाख रुपए होगी ।

दृष्टांत 2 :- किसी फिल्टर खैनी के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर, जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 15.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 116.73 + 11.67 x (15-10) लाख रुपए = 175.08 लाख रुपए होगी ।";

(ग) सारणी 2 और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी-2

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)				
		जर्दा सुगंधित तम्बाकू			अविनिर्मित तम्बाकू	
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच 450 तक	प्रति मिनट 451 पाउच और उससे ऊपर तक	कोई गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**
					(6**क**)	(6**ख**)
1.	1.00 रु0 तक	30.51	43.58	92.61	15.32	14.55
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	45.76	65.37	138.91	22.98	21.83
3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	54.91	78.44	166.69	27.58	26.04
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु	82.37	117.67	250.04	41.37	39.07

	3.00 रु0 से अनधिक					
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	102.50	146.43	311.16	51.48	48.41
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	128.13	183.04	388.95	64.35	60.52
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	153.75	219.64	466.74	77.22	72.62
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	153.75	219.64	466.74	77.22	72.62
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0	153.75	219.64	466.74	77.22	72.62

	से अनधिक					
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	153.75	219.64	466.74	77.22	72.62
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	244.05	348.64	740.86	122.56	114.90
12.	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	344.11	491.58	1044.62	172.81	164.17
13.	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	431.28	616.12	1309.25	216.59	205.76
14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से	506.76	723.94	1538.37	254.50	241.77

	अनधिक					
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	571.62	816.60	1735.28	287.07	272.72
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	626.88	895.54	1903.03	314.82	299.08
17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	673.45	962.07	2044.40	338.21	321.30
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	712.17	1017.39	2161.95	357.66	339.78
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	743.82	1062.60	2258.03	373.55	354.88

20.	50.00 रु0 से अधिक	743.82+14.88 x (की -50)	1062.60+21.25 x (की -50)	2258.03+45.16 x (की -50)	373.55+7.47 x (की -50)	354.88+7.10 x (की -50)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।				

दृष्टांत 2 :- किसी जर्दा सुगंधित तम्बाकू के पाउच के लिए, प्रति मास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 1062.60 + 21.25 x (55-50) लाख रुपए = 1168.85 लाख रुपए होगी ।";

(ii) पैरा 3 में, सारणी 3 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी-3

क्रम सं0	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.9384	0.8350
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.0616	0.0619
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.0	0.1031
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0.".

[फा.सं0 334/8/2015-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।